संख्या–सी.एम. 126/9–आ–1–98–119–डी.ए./98

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2.आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आवास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 04 मई, 1998

विषय : अलोकप्रिय सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बड़ी संख्या में विभिन्न श्रेणी की परिसम्पत्तियाँ आवंटन हेतु उपलब्ध हैं परन्तु इनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

2. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सम्पत्ति निस्तारण हेतु कुछ विशेष प्रयास/व्यवस्था की गई है :–

1/411/2 अवशेष अनिस्तारित अलोकप्रिय सम्पत्तियों का निस्तारण मूल मूल्यांकन 1/4 वर्तमान भूमि दर+मूल निर्माण लागत 1/2 पर पंजीकृत/अपंजीकृत क्रेताओं के मध्य किया जाये।

1/421/2 अनिस्तारित अलोकप्रिय भवनों का निस्तारण विशेष कैम्प लगाकर किया जाये। कैम्प में उपलब्ध सम्पत्तियों की जानकारी जनसामान्य को कराई जाय, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। प्रत्येक दिवस को निर्धारित समय तक प्राप्त वैध आवेदनों को तत्काल लाटरी द्वारा 1/4 यदि आवश्यक हो 1/2 आवंटन किया जाय। विशिष्ट सम्पत्ति के लिए भी आवेदन स्वीकार किए जायें।

1/431/2 प्रत्येक माह इस प्रकार के कैम्प की तिथियॉ निर्धारित कर दी जाये जिनका पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाये।

1/441/2 अलोकप्रिय सम्पत्तियों में आय सीमा एवं सम्पत्ति सीमा के प्रतिबन्ध को भी समाप्त किया जा सकता है, परन्तु इस हेतु बोर्ड की स्वीकृति ली जाये।

1/451/2 कैम्प में ऋण सुविधा आयोजित की जाये।

3. आप सहमत होंगे कि अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण न होने से प्राधिकरण की छवि सामान्य जन में सही नहीं आंकलित की जाती है और वित्त विभाग द्वारा हमेशा ऐसी परिस्थितियों के निस्तारण पर बल दिया जाता रहा है।

4. उपरोक्त को देखते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परिषद द्वारा अपनाये गए उपर्युक्त सुझाावों का भी अध्ययन प्राधिकरण द्वारा किया जाये और आवश्यकतानुसार उन सुझावों के अनुसार कार्यवाही भी प्राधिकरण द्वारा किया जाये। उक्त सुझावों का अनुसरण करते समय पारदर्शिता आवश्यक है साथ ही साथ उपरोक्तानुसार सम्पत्तियों का निस्तारण करते समय समाचार–पत्रों में प्रचार–प्रसार अत्यंत आवश्यक है। जिससे सभी को समान अवसर रहे।

5. इस सम्बंध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि भविष्य में दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के भवन केवल प्राप्त पंजीकृत आवेदन पत्रों के आधार पर ही निर्मित किये जायें। और इनकी लम्बी अवधि की किश्तें न बनाई जायें, बल्कि मकानों के लिए आवंटियों को वित्तीय संस्थानों से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायी जाये। जिससे प्राधिकरण/परिषद को आवंटित भवनों के सापेक्ष्य धनराशि उपलब्ध हो जायेगी वहीं दूसरी ओर लाभार्थी को भी लम्बी अवधि की किश्त सुविधा भी मिल सकेगी।

6. कृपया अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण की ओर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। गत वर्ष के अन्त तक उपलब्ध सभी सम्पत्तियों का निस्तारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जाना एक प्रमुख प्राथमिकता है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव